

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक: निकृवि/रिम्स/16/34026-182

दिनांक: 13/01/2016

समस्त सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति।

विषय- उपविधि संख्या 27(7) में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपविधि संख्या 27(7) में एवं उपविधि संख्या 27(8) से पूर्व निम्न परन्तुक जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

"परन्तु ई-प्लेटफार्म पर व्यापारी/क वर्ग अनुज्ञापत्रधारी/संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी/एकल अनुज्ञापत्रधारी/सीधी खरीद अनुज्ञापत्रधारी द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर किसानों द्वारा विक्रय हेतु लाई गई कृषि जिन्स के प्रवेश पत्र जारी किये जा सकेंगे।"

कृपया इस संदर्भ में मण्डी समिति की उपविधियों में उक्तानुसार संशोधित प्रावधान को शामिल किये जाने हेतु मण्डी समिति का प्रस्ताव पारित करावें। इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव को निदेशालय का पूर्व अनुमोदन माना जावें।

—Sol—
(दिनेश कुमार यादव)
निदेशक
कृषि विपणन

क्रमांक: निकृवि/रिम्स/16/

दिनांक:

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. समस्त प्रभारी अधिकारी, कृषि विपणन, मुख्यालय, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी उपनिदेशक (नियमन), कृषि विपणन, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग।

(दिनेश कुमार यादव)
निदेशक